भारत का सर्वोच्च न्यायालय

प्रेस विज्ञप्ति

हिंदी दिवस पर हिंदी जन सूचना सेवा आरंभ करने की घोषणा

महत्वपूर्ण निर्णयों के सरल हिंदी सार तथा दैनिक ऑडियो और वीडियो बुलेटिन उपलब्ध होंगे

नई दिल्ली, 14 सितंबर 2026

हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी में एक नई जन सूचना सेवा आरंभ करने की घोषणा की है। इस सेवा के अंतर्गत चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों और आदेशों का सरल हिंदी सार तथा प्रतिदिन लगभग 15 से 30 मिनट का हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित आधिकारिक निर्णय का लिंक भी साथ रहेगा। आवश्यक व्यवस्था पूरी करके यह सेवा घोषणा जल्दी ही शुरू की जाएगी।

यह पहल आम नागरिको, वादकारियों और विशेष रूप दिव्यांग जनो की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है, ताकि वे न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, उनका प्रभाव और आगे की प्रक्रिया अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकें। इसका उद्देश्य न्याय तक पहुँच की भावना को अधिक सुलभ बनाना और भारतीय भाषाओं के सम्मान को न्यायिक जन सूचना से जोड़ना है। सरल भाषा तथा ऑडियो और वीडियो माध्यम उन लोगों के लिए भी उपयोगी होंगे जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है।

यह सेवा पहले हिंदी में शुरू होगी और शीघ्र ही चरणबद्ध रूप से अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे देश के अलग–अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिक सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों की संक्षिप्त और सहज जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे।